



2026:AHC:34022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3240 / 2026

मोहम्मद अली

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : हरिश चंद्र द्विवेदी, मोहम्मद फैजान अली

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 उप जिलाधिकारी, तहसील-सदर, जनपद-मऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2023 हावांकि अंतिम हो चुका है, लेकिन आज तक उसका अनुपालन नहीं किया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि दिनांक 04.05.2023 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष दिनांक 24.04.2025 को एक प्रत्यावेदन दिया गया है। चूंकि प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष ही उचित आवेदन दाखिल करने की अनुमति देते हुए निस्तारित की जाती है। यदि ऐसा किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 को कानून के अनुसार शीघ्रता से उसका निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

13 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"